

परिशिष्ट - दो

प्रपत्र - 2

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 को देखे

श्री-सिद्ध

दूरभाष
फैक्स

कार्यालय मुख्य शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

क्रमांक - 12984

दिनांक 30.3.13

सेवा में

अध्यक्ष/अध्यक्ष/प्रबन्धक

श्री-सिद्ध प० स्कूल
बजवालपुर हल्द्वानी

विषय :- निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के अन्तर्गत निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

नहोदय/नहोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 14.3.13 के क्रम में आपके विद्यालय

श्री-सिद्ध प० स्कूल बजवालपुर हल्द्वानी
(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत

अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 170 है। नबिष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद - नैनीताल
उत्तराखण्ड